आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)b के तहत आर०एम० वाद सं०-03/2017-18 भिखारी महतो वगैरह......विक्रेता दुबराज महतो वगैरह.......क्रेता

2.10.22 अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा इस वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। उक्त वाद में विक्रेता एवं क्रेता को इस न्यायालय ज्ञापांक—971(ii) / रा० दिनांक—21.09.2022, एवं ज्ञापांक-1097(ii) / रा० दिनांक-14.10.2022, के द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। जिसके पश्चात भी विक्रेता/क्रेता न्यायालय में अनुपस्थित है। विक्रेता भिखारी महतो वगैरह पिता—मोहन महतो, ग्राम—सुमानडीह, पो०-बुढ़ाडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-खेती, एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस अनुमति वाद में किसी भी तरह की पैरवी नहीं की जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि विक्रेता / क्रेता को इस अनुमति वाद में किसी प्रकार की कोई अभिरूचि नही है।

अतः ऐसी परिस्थित में उपरोक्त अनुमति की कार्यवाही समाप्त की जाती

है।

भमि का तितरण

मीजा	थाना / थाना स०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
नुमानडीह 	01	67	105	0.10 ए०

लेखापित एंव संशोधित। भूमि सुधार की समाहर्ता, बुण्डु (राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डु (राँची)।